उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-98/2015/2682/26-3-2015-4(2)12टी.सी.

लखनऊः दिनांकः 10 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

जिलाधिकारी, हाथरस (महामायानगर) के अर्द्ध0शा0 पत्रांक-2279/एम.एस./एस.जी./2011, दिनांक-02.07.2011 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में प्रथमदृष्टया अनियमितता प्रकाश में आने पर शासनादेश संख्या-2798/26-3-2011, दिनांक-23.08.2011 द्वारा जनपद-हाथरस की निम्नलिखित 03 शिक्षण संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट करते हुये प्रकरण की आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन से जाँच करायी गयीः-

(1) मास इन्जीनियरिंग एवं टेक्निकल कालेज सुसायतकला, हाथरस।

(2) जगन्नाथ प्रसाद महाविद्यालय, कोटा, तहसील एवं जनपद-हाथरस।

(3) अलीगढ़ सिटी इन्जीनियरिंग कालेज टीकरीकला, हाथरस।

2- गोपन अनुभाग-8 उ0प्र0शासन के पत्र संख्या-250(1)/25-8-2014-17(70)/2011, दिनांक-19.03.2014 द्वारा उक्त विद्यालयों के सम्बन्ध में ई.ओ.डब्लू. द्वारा की गयी जाँच रिपोर्ट दिनांक-16.08.2012 की प्रति समाज कल्याण विभाग को प्राप्त हुयी। जाँच रिपोर्ट में मास इन्जीनियरिंग एवं टेक्निकल कालेज सुसायतकला, हाथरस एवं श्री जगन्नाथ प्रसाद महाविद्यालय, कोटा, हाथरस को दोषी नही पाया गया है तथा एक अन्य शिक्षण संस्था अलीगढ़ सिटी इन्जीनियरिंग कालेज टीकरीकला, हाथरस को पूर्णतया अस्तित्वविहिन एवं फर्जी शिक्षण संस्था होने की पुष्टि हुयी है।

3- अतएव प्रकरण में ई0ओ0डब्लू0 द्वारा की गयी उक्त जाँच रिपोर्ट दिनांक-16.08.2012 एवं तत्क्रम में निदेशक, समाज कल्याण की प्राप्त आख्या दिनांक-07.08.2015 पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक-23.08.2011 द्वारा जनपद-हाथरस की ब्लैकलिस्ट की गयी 03 शिक्षण संस्थाओं में से 02 शिक्षण संस्थाओं मास इन्जीनियरिंग एवं टेक्निकल कालेज सुसायतकला, हाथरस एवं जगन्नाथ प्रसाद महाविद्यालय, कोटा, तहसील एवं जनपद-हाथरस को तत्कालिक प्रभाव से ब्लैकलिस्ट से मुक्त किया जाता है।

सुनील कुमार

प्रमुख सचिव

पृ0संख्या-98/2015/2682(1)/26-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निदेशक, समाज कल्याण को उनके पत्रांक-1659/स.क./शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-07.08.2015 के सन्दर्भ में।

2-निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/उच्च शिक्षा/तकनीकि शिक्षा।

3-जिलाधिकारी, हाथरस।

4-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।

5-जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाथरस।

6-सम्बन्धित शिक्षण संस्था।

7-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in